

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2021/52522-52712 दिनांक: 6/4/21

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,

नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाएं,

समस्त राजस्थान।

विषय:- शहरी निकायों में दिव्यांग जनों को सुगम एवं बाधरहित आवागमन की सुविधाएं विकसित करने के काम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपायुक्त विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 (1) एवं धारा-45 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

  
(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/21/52713-759

दिनांक:- 6/4/21

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. उपायुक्त विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. जनसंपर्क अधिकारी निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
8. प्रभारी, मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ सयुक्त-विधि परामर्शी